UPSP100000201998

Presented on : 10–11–1998
Registered on : 10–11–1998
Decided on : 05–08–2026
Duration : 27 years, 8 months, 25 days

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट–II देवबंद, सहारनपुर
पीठासीनः गौरव दीप सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

दाण्डिक वाद संख्या–201126/2003

राज्य बनाम अहसान आदि।

मु0अ0सं0–529/98
धारा–380, 411 भा.द.स.
थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर।

शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष	राज्य/सरकार (मूल सूचनाकर्ता – मुस्तफा पुत्र अनीस
अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली, अनीस पुत्र यूनुस व नौनी पुत्र कल्लू पठान
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री मौ० तजीम

अभियुक्तगण का विवरण–

अभि० क्रमांक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी/अभिरक्षा का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध
1.	मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली	24.09.1998	380, 411 भा.द.स.	दोषमुक्त
2.	अनीस पुत्र यूनुस	26.09.1998	380, 411 भा.द.स.	मृत्यु के कारण उपशमित
3.	नौनी पुत्र कल्लू पठान	28.10.1998	380, 411 भा.द.स.	जुर्म इकबाल आदेश दिनांक 26.09.2001

घटना का दिनांक	24.09.1998
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	24.09.1998
आरोप–पत्र का दिनांक	29.10.1998

आरोप विरचित करने का दिनांक	**17.05.2001**
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	**04.10.2011**
बहस का दिनांक	**31.07.2026**
निर्णय का दिनांक	**05.08.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की पूर्व में विस्तारपूर्वक बहस को सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते निर्णय आज नियत है।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद पुलिस थाना–देवबन्द, जनपद सहारनपुर द्वारा मु0 अ 0 सं0 529/98 में अभियुक्तगण मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली, अनीस पुत्र यूनुस निवासीगण मौ० पठानपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व नौनी पुत्र कल्लू पठान निवासी मौ० मटकोटा रेती चौक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा–457, 380, 411 भा.द.स. के आधार पर संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–वादी की फैक्ट्री कलासिक फोटो फ्रेम के नाम से नौ गजा पीर के पास मौहल्ला पठानपुरा मे है। दिनांक 23,24/09/98 को करीब रात दो बजे वादी अपनी फैक्ट्री की देखरेख के लिए गया तो उसे फैक्ट्री के अन्दर कुछ चोर पहले से घुसे होने का आभास हुआ। तो उसने अपने साथ मौहल्ला पठानपुरा के सलीम पुत्र आलम गीर, नसीम पुत्र आलम गीर, नजाकत पुत्र अब्दुल हमीद खाँ को साथ लेकर अपनी उक्त फैक्ट्री पे पहुँचे तो फैक्ट्री के अन्दर से तीन चोर निकलकर भागे जिसमे से एक चोर अहसान पुत्र अब्दुल तेली निवासी मौहल्ला बेरियान को मार पीट कर समय करीब 3 बजे रात पकड लिया इसके कब्जे से वादी की फैक्ट्री से लूटा एक मोटर 1/2 हार्स पावर आर०के० कम्पनी का एक नियान एक थैले मे से मिला इसके इन्टी मे लगा एक तमन्चा 12 बोर एक कारतूस मिला दो चोर नौनी पुत्र कल्लू निवासी मटकोटा व अनीस फकीर निवासी बेरियान मोरा अन्य सामान लेकर भागने मे सफल हो गये। वादी ने अपनी फैक्ट्री के अन्दर देखा तो एक मोटर 1 हार्स पावर करम्टन कम्पनी का और नगद रुपये 11700/– एल्युमिनियम जो तीन छोटे कट्टो मे रखा था दो डाइ फोटो फ्रेम की गायब मिली इन्हे चोरो ने वादी के इस सामान की चोरी की है। मोटर, नियान, एक तमन्चा एक कारतूस मय मुजरिम अहसान को लेकर आये है।

3– वादी मुकदमा मुस्तफा पुत्र अनीस की तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द में मु0 अ 0 सं0 529/98 अंतर्गत धारा 380, 411 भा.द.स. के अंतर्गत पंजीकृत किया तथा मामले की विवेचना जारी रखी गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा व अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। मौके पर मुआईना कर नक्शा–नजरी बनाया गया तथा विवेचनोपरांत संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली, अनीस पुत्र यूनुस व नौनी पुत्र कल्लू पठान के विरूद्ध अंतर्गत धारा– 457, 380, 411 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा इस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्तगण मौ० अहसान, अनीस व नौनी को विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण मौ० अहसान, अनीस व नौनी न्यायालय में उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2001 को आरोप अ० धारा 380, 411 भा.द.सं. में विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया।

5– अभियुक्त नौनी पुत्र कल्लू पठान द्वारा उपकारागार देवबंद में आयोजित अदालत में प्रार्थना–पत्र जुर्म संस्वीकृति प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 26.09.2001 द्वारा स्वीकृत करते हुए अभियुक्त नौनी को दोषसिद्ध किया गया तथा अभियुक्त नौनी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा मु० 500/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किए गए।

6– अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–01 के रूप में सलीम पुत्र आलमगीर, पी०डबलू०–02 के रूप में मुस्तफा पुत्र अनीस अहमद, पी०डबलू०–03 के रूप में शाहनवाज पुत्र कफिल अहमद तथा पी०डबलू०–04 के रूप में मौ० ईनाम पुत्र अब्दुल वहीद को परीक्षित कराया गया है।

7– साक्षी पी०डबलू०–1 सलीम पुत्र आलमगीर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–मैंने दिनांक 24.9.98 की रात्रि में मुस्तफा की फैक्ट्री में अहसान व अनीस हाजिर अदालत मुल्जिम द्वारा चोरी की कोई घटना नहीं देखी और ना ही मुल्जिमान अहसान व अनीस से मेरे सामने कोई सामान बरामद हुआ। इस स्तर पर APO की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

7.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को बयान 161 CRPC पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा बयान दरोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से साज करके सही बात न बता रहा हूं।

8– साक्षी पी०डबलू०–2 मुस्तफा पुत्र अनीस अहमद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–मेरी क्लासिक फोटो फ्रेम के नाम से मौहल्ला पठानपुरा में एक फैक्ट्री थी। दिनांक 23–24/09/1998 को करीब रात 02:00 बजे में अपनी फैक्ट्री की देखरेख के लिया गया था तो मुझे फैक्ट्री के अन्दर चोरो के घुसे होने का आभास हुआ मैंने पडोस के मोहल्ले में स्थित कुछ व्यक्तियों को वहाँ बुलाया चोरो को हमारे आने का आभास हुआ तो चोर फैक्ट्री में से 1 हार्सपॉवर का मोटर, अल्युमीनियम के 03 कट्टे और 02–2.5 फोटो फ्रेम लेकर भागने लगे हम लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो वह मोटर फैंक कर और धक्का देकर वहाँ से भाग गए। मैंने उपरोक्त घटना के संबंध में एक तहरीर थाना देवबन्द में दी थी। जिस पर हस्ताक्षर है देखकर तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने मेरे ब्यान लिये थे मैंने उन्हें घटना स्थल दिखाया था।

8.1– बचाव पक्ष द्वारा जिरह के दौरान उक्त साक्षी ने कथन किया कि–मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ किंतु अपने हस्ताक्षर बना देता हूँ। मैंने एक सादे पेज पर अपने हस्ताक्षर बनाकर दे दिये थे। तहरीर में क्या लिखा था मुझे नहीं पता। रात का समय होने के कारण अंधेरे का लाभ उठाकर चोर वहाँ से भाग गये। अंधेरे होने के कारण मैं चोरो को पहचान नहीं सका। तहरीर में घटना स्थल पर अहसान के पकडे जाने की जो बात लिखी है वह कैसे लिखी गयी थी इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। अहसान को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। हाजिर अदालत अहसान को देखकर गवाह ने कहा कि इससे पूर्व मैं न मैं इससे मिला हूँ न मैं इनको जानता हूँ। घटना काफी पुरानी है मुझे नहीं पता कि मेरे मामले में पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी की गई थी अथवा नहीं।

8.2– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को ब्यान 161 CrPC पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने ऐसा कोई ब्यान देने से इन्कार किया जो बाते मैंने आज माननीय न्यायालय के समझ बताई है वही बात मैंने दरोगा जी को बताई थी यदि उन्होंने मेरे ब्यानों में इससे अलावा कुछ लिख लिया हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि हाजिर अदालत अभियुक्त को मैंने अपनी फैक्ट्री में रात में चोरी करते व चोरी का कोई समान बरामद होते न देखा, न सुना है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त से मिल जाने के कारण या हमारा फैसला हो जाने के कारण सही बात न बता रहा हूँ।

9– साक्षी पी०डबलू०–3 शाहनवाज पुत्र कफिल अहमद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना सन् 1998 की है महीना व दिनांक मुझे ठीक से याद नहीं है। इस मुकदमे का वादी मुस्तफा पुत्र अनीस हमारे मौहल्ले का है इस कारण मैं उसे जानता पहचानता हूँ। मुस्तफा ने मुझे बताया था कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। मुस्तफा के बताए अनुसार ही मैंने तहरीर लिख दी थी। पत्रावली पर संलग्न तहरीर को देखकर कहा कि ये मेरी ही लेख में है जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। उपरोक्त तहरीर पर पहले से ही प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। मैं इस मुकदमे के मुल्जिमान मोहम्मद अहसान, अनीस, नौनी को नहीं जानता हूँ न ही मैं इनसे कभी मिला हूँ। मैंने केवल तहरीर लिखी थी इससे ज्यादा मुझे इस मुकदमे में कोई जानकारी नहीं है। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है एवं जिरह की अनुमति दी जाती है।

9.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका धारा 161 CrPC का ब्यान पढ़कर सुनाया गया जिसे सुनकर गवाह ने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई ब्यान नहीं दिया था उन्होंने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि किसी दबाव या लालच में आ जाने के कारण आज अदालत में मुल्जिम को बचाने के लिए सही बात न बता रहा हूँ।

10– साक्षी पी०डबलू०–4 मौ० ईनाम पुत्र अब्दुल वहीद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–मैं इस मुकदमे के वादी मुस्तफा पुत्र अनीस को नहीं जानता हूँ। और मुल्जिम अहसान को भी मैं नहीं जानता हूँ। इन दोनों के बीच में क्या मामला था मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। घटना आज से करीबन्द 27–28 साल पुरानी रही होगी। मेरा नाम गवाह की सूची में कैसे आ गया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

10.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CrPC का ब्यान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई ब्यान नहीं दिया था उन्होंने कैसे लिख लिया मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम को बचाने के लिए आज अदालत में सही बात न बता रहा हूँ।

11– वाद उक्त में अभियुक्त अनीस पुत्र यूनुस की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही न्यायालय आदेश दिनांकित 07.11.2024 द्वारा उपशमित की गयी। वादी मुकदमा की ओर से शेष साक्षी रिजवान को साक्ष्य से उन्मोचित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सबमिट किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 28.07.2026 द्वारा स्वीकृत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी तथा पत्रावली वास्ते बयान अ०धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 नियत की गयी। अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 29.07.2026 को अंकित किये गये। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक गलत तथा स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया है।

12– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का कथन किया गया।

14– जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए उपरोक्त अभियुक्त द्वारा कोई अपराध न करने तथा अभियोजन द्वारा अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित न कराने के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गए आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने का कथन किया गया।

15– अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 24.9.98 को समय करीब दो बजे पी.एम. स्थान क्लासिक फोटो फ्रेम फैक्ट्री पठानपुर देवबन्द में अभियुक्त ने मोटर चोरी किया तथा मौके पर पकडे जाने पर उक्त चोरी किया गया मोटर अभियुक्त से बरामद हुआ, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

16– प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–01 के रूप में सलीम पुत्र आलमगीर (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), पी०डबलू०–02 के रूप में मुस्तफा पुत्र अनीस अहमद (वादी मुकदमा), पी०डबलू०–03 के रूप में शाहनवाज पुत्र कफिल अहमद (तहरीर लेखक) तथा पी०डबलू०–04 के रूप में मौ० ईनाम पुत्र अब्दुल वहीद (औपचारिक साक्षी) को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के अलावा अन्य किसी साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2026 को अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

17– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०–01 सलीम पुत्र आलमगीर जो कि उक्त घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने दिनांक 24.9.98 की रात्रि में मुस्तफा की फैक्ट्री में अहसान व अनीस हाजिर अदालत मुल्जिम द्वारा चोरी की कोई घटना नहीं देखी और ना ही मुल्जिमान अहसान व अनीस से उसके सामने कोई सामान बरामद हुआ। साक्षी पी०डबलू०–02 मुस्तफा पुत्र अनीस अहमद उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 23–24/09/1998 को करीब रात 02:00 बजे वह अपनी फैक्ट्री की देखरेख के लिया गया था तो उसे फैक्ट्री के अन्दर चोरो के घुसे होने का आभास हुआ उसने पडोस के मोहल्ले में स्थित कुछ व्यक्तियों को वहाँ बुलाया चोरो को उनके आने का आभास हुआ तो चोर फैक्ट्री में से 1 हार्सपॉवर का मोटर, अल्युमीनियम के 03 कट्टे और 02–2.5 फोटो फ्रेम लेकर भागने लगे इन लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो वह मोटर फैंक कर और धक्का देकर वहाँ से भाग गए। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह के दौरान उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसने एक सादे पेज पर हस्ताक्षर बनाकर दे दिये थे। तहरीर में क्या लिखा था उसे नहीं पता। रात

का समय होने के कारण अंधेरे का लाभ उठाकर चोर वहाँ से भाग गये। अंधेरे होने के कारण वह चोरो को पहचान नहीं सका। तहरीर में घटना स्थल पर अहसान के पकडे जाने की जो बात लिखी है वह कैसे लिखी गयी थी इसकी वजह वह नहीं बता सकता। अहसान को वह जानता पहचानता नहीं है। हाजिर अदालत अहसान को देखकर उक्त गवाह ने कहा कि इससे पूर्व वह न तो इससे मिला है और न वह इनको जानता है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त को उसने उसकी फैक्ट्री में रात में चोरी करते व चोरी का कोई समान बरामद होते न देखा, न सुना है। साक्षी पी०डबलू०–03 शाहनवाज पुत्र कफिल अहमद जो कि तहरीर लेखक है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि वह इस मुकदमे के मुल्जिमान मोहम्मद अहसान, अनीस, नौनी को नहीं जानता है न ही वह इनसे कभी मिला है। उसने केवल तहरीर लिखी थी इससे ज्यादा उसे इस मुकदमे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी पी०डबलू०–04 मौ० ईनाम पुत्र अब्दुल वहीद भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह इस मुकदमे के वादी मुस्तफा पुत्र अनीस को नहीं जानता है और मुल्जिम अहसान को भी वह नहीं जानता है। इन दोनों के बीच में क्या मामला था उसे उसकी कोई जानकारी नहीं है।

18– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से अभियोजन कथानक एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है और घटना की संबद्धता अभियुक्तगण से स्थापित नहीं हो पा रही है। साक्षीगण पी०डब्लू०–01, 03 व 04 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी पी०डबलू०–02 जो कि वादी मुकदमा है, ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट स्वीकार किया है कि अंधेरा होने के कारण वह चोरों को पहचान नहीं सका, अभियुक्त अहसान को वह पूर्व से नहीं जानता था तथा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को उसने घटना स्थल पर चोरी करते अथवा उसके कब्जे से कोई चोरी का सामान बरामद होते नहीं देखा। उसने यह भी कहा कि तहरीर में अभियुक्त अहसान के पकड़े जाने का उल्लेख किस प्रकार अंकित हुआ, इसकी उसे जानकारी नहीं है। यद्यपि उपरोक्त साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, तथापि उनकी प्रतिपरीक्षा से भी अभियोजन के पक्ष में ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती हो अथवा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों का समर्थन होता हो। तथ्य के अन्य किसी ऐसे साक्षी या किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जो घटना की संबद्धता अभियुक्तगण से स्थापित कर सके। जहाँ तक पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का प्रश्न है, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है परन्तु अभियोजन प्रपत्रों में प्रदर्शित तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण अभियोजन प्रपत्रों को साक्ष्यिक महत्व शून्य हो जाता है।

19– उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा– 380, 411 भा.द.स. को अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। परिणामस्वरूप अभियुक्त मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

1. मु0 अ 0 सं0 529/98, थाना– देवबन्द, जिला सहारनपुर के प्रकरण में अभियुक्त मौ० अहसान पुत्र अब्दुल तेली, निवासी मौ० पठानपुरा, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर को अंतर्गत धारा 380, 411 भा.द.स. से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। जामिनान को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त धारा 437 ए द 0 प्र 0 सं0 के तहत अंकन 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक नया जमानती दाखिल करे।

3. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः05.08.2026

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– II
देवबंद, सहारनपुर
UP3741

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः05.08.2026

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–II
देवबंद, सहारनपुर
UP374

परिशिष्ट-

सूची अभियोजन साक्षीगण

अभियोजन साक्षीगण संख्या	साक्षीगण का नाम	विवरण
PW-1	सलीम पुत्र आलमगीर	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
PW-2	मुस्तफा पुत्र अनीस अहमद	वादी मुकदमा
PW-3	शाहनवाज पुत्र कफिल अहमद	तहरीर लेखक
PW-4	मौ० ईनाम पुत्र अब्दुल वहीद	औपचारिक साक्षी

सूची अभियोजन प्रदर्श-

क्र०सं०	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श क-1	तहरीर
2.	प्रदर्श क-2	फर्द बरामदगी
3.	प्रदर्श क-3	नक्शा नजरी
4.	प्रदर्श क-4	फर्द तलाशी अभियुक्त अहसान
5.	प्रदर्श क-5	फर्द तलाशी अभियुक्त नौनी
6.	प्रदर्श क-6	प्रथम सूचना रिपोर्ट
7.	प्रदर्श क-7	आरोप-पत्र